संख्या– 523(A)/ III(2)/17–34(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 24 मई, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न 18 मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई **28.776 किमी0 एवं 50 मी0 स्पान का 01 सेतु** है तथा **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 1070.74 लाख (₹ दस करोड़ सत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 18 कार्यों हेतु ₹ 1.80 (₹ एक लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था मे समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यो में या किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.80 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदानान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–93(A)/XXVII/(2)/2017 दिनांक 23 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या– 523(A)/III(2)/17-34(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोनिवि., देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/लक्सर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

संख्या– 523(1)/ II(2) / 17–34(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 24 मई, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत रेलवे फाटक से शुगर मिल व केहडा होते हुए अकौढ़ा रेलवे फाटक तक मार्ग का पी.सी. द्वारा मरम्मत एवं पुनःनिर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2.300	62.24	0.10
2	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी चौराहे से ग्राम सुल्तानपुर कब्रिस्तान तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.800	131.00	0.10
3	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम जसपुर रणजीतपुर से ग्राम रायघटी की ओर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.00	30.07	0.10
4	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम लक्सर में पथरी पुल के दाहिने किनारे से शमशान घाट तक सड़क का इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	0.400	21.51	0.10
5	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम अलावलपुर में पानी की टंकी के पास से बाडीटीप की ओर सड़क का (इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा) निर्माण कार्य।	1.260	75.65	0.10
6	जनपद हरिद्वार के बिधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग में फाटक से शमशान घाट तक सड़क का इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	0.400	21.51	0.10
7	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम मुण्डाखेड़ा कला में सेवा राम के खेत से शमशान तक सड़क का (इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा) निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.720	42.75	0.10
8	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर ऊद में रावेदास मंदिर से शमशान घाट तक सड़क का (इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा) निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.600	38.58	0.10
9	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम गंगदासपुर से गंगा तटबन्ध तक इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक का कार्य। (द्वितीय चरण)	0.350	20.03	0.10
10	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम डोसनी मेन रोड़ से ग्राम रजबपुर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण	1.855	43.70	0.10
11	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम बहादरपुर खादर मेन चौराहे से ग्राम बसेडा खादर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.450	28.55	0.10
12	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम लक्सर में अन्तरिक्ष रानी के मकान से कश्यप बस्ती होते हुए ग्राम केहडा तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.050	50.86	0.10

13	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम नगला खिताब तिराहे से ग्राम केहडा तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.981	8.06	0.10
14	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम नेतन्दपुर होते हुए ग्राम भिक्कमपुर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5.200	127.62	0.10
15	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत इस्माईलपुर से मुण्डाखेडा कलां तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.200	32.07	0.10
16	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत महाराजपुर कला सत्संग भवन से ग्राम गंगदासपुर तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.00	79.91	0.10
17	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम डुगरपुर से ग्राम बहालपुरी होते हुए रायसी फाटक तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.600	52.71	0.10
18	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लक्सर के अन्तर्गत ग्राम अकौढा खुर्द (शमशान घाट के पास) ग्राम दरगाहपुर एवं बहालपुरी को जोड़ने वाले मार्ग पर पथरी रोह पर 50.00 मी. स्पान बॉक्स टाईप पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.610 +01brg	203.92	0.10
	कुल :–	**28.776+ 01 Brg**	**1070.74**	**1.80**

(कुल ₹ एक लाख अस्सी हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - **523-A/III(2)/17-34(M.L.A)/2017**

अलोटमेंट आई डी - **S1705220179**

अनुदान संख्या - **022**

आवंटन पत्र दिनांक - 24-May-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 04 - जिला तथा अन्य सड़के

337 - सडक निर्माण कार्य

03 - राज्य सेक्टर

02 - नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	330000	180000	510000
	330000	**180000**	**510000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 180000

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 268 /20 याता0'क'/2017 दिनांक–27.05.2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

IT head (op)
Upload!
31/05/17

27/05/17
मुख्य स्टाफ अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून